

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग

(जी-३ राजमहल रेजिडेंसी एरिया सिविल लाईंस फाटक, 22 गोदाम, सी-स्कीम, जयपुर 302015)

क्रमांक:— SPL-1

दिनांक:— 09.04.2020

आयुक्त / अधिशाषी अधिकारी,
नगर निगम / परिषद् / पालिका,
समस्त राजस्थान।

विषय:— COVID-19 महामारी से बचाव हेतु फेस मास्क का वितरण करवाने बाबत्।

संदर्भ :— समसंख्यक पत्र क्रमांक SP-1 दिनांक 09.04.2020.

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि राजस्थान सरकार द्वारा दिनांक 09.04.2020 आदेशानुसार राज्य की सभी 196 नगरीय निकाय क्षेत्रों में मास्क का उपयोग करना अनिवार्य कर दिया गया है। इस क्रम में संदर्भित पत्र द्वारा SHG के माध्यम से फेस मास्क तैयार करने हेतु निर्देशित किया गया था। कपड़ा क्रय करने हेतु SHG की महिलाओं को आर्थिक / संसाधनों की कमी महसूस हो रही है। ऐसी स्थिति में जिस नगरीय निकायों में SHG की महिलाएँ कपड़ा क्रय करने में असमर्थ हो वहां उन्हें कपड़ा क्रय करके स्वयं सहायकता समूहों को उपलब्ध करावें। साथ ही कपड़े के मास्क निकाय में कार्यरत समस्त कर्मचारियों, संविदा कर्मियों, आश्रय स्थलों में रह रहे लोगों, पथविक्रेताओं, निराश्रित व्यक्तियों एवं आवश्यकतानुसार अन्य सभी सरकारी विभागों में निःशुल्क वितरित करावें।


(उज्ज्वल राठौड़)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक:—SPL-1

दिनांक:—09.04.2020

- 1- विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान।
- 2- निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
- 3- निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
- 4- जिला कलक्टर, समस्त राजस्थान।
- 5- अतिरिक्त निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
- 6- उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
- 7- सुरक्षित पत्रावली।


(उज्ज्वल राठौड़)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव